By Speed Post

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(A Constitutional body set up under Article 338A of the Constitution of India)

केस नंबर: RS/4/2017/STGUP/ATOTH/RU-I

छठा तल, 'बी' विंग, लोकनायक भवन,
नई दिल्ली- 110003
दिनाक: 12.06.2019

सेवा में,

ज़िला अधिकारी,	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,	ज़िला समाज कल्याण अधिकारी,
ज़िला- मेरठ,	ज़िला- मेरठ,	ज़िला- मेरठ,
(उत्तर प्रदेश)	(उत्तर प्रदेश)	(उत्तर प्रदेश)

विषय: श्री राजेंद्र साह (मकान No. 169/2, माधवपुरम, मेरठ) द्वारा पंजीकृत किया गये मामलों की छानबीन के संबंध में ।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर, सुश्री अनुसूइया ऊईके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली की अध्यक्षता में 03.06.2019 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की प्रति (संलग्न) को अग्रसारित करने का निर्देश हुआ है ।

अतः आपसे निवेदन है कि आयोग की अनुसंशाओं पर की जाने वाली कार्यवाही की रिपोर्ट निर्धारित अवधि के अंदर सूचित करने का कष्ट करे ।

भवदीय,

(एस. पी. मीणा)
सहायक निदेशक
दूरभाष: 24641640

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1 श्री राजेंद्र साह,
मकान No. 169/2, माधवपुरम,
थाना- ब्रहमपुरी,
ज़िला- मेरठ, (उत्तर प्रदेश)
(मोबाइल नंबर: 8445765127)

2 श्री छोटू कुमार व अन्य,
ग्राम- जंगेठी, पुलिस स्टेशन- कंकरखेड़ा,
ज़िला- मेरठ,
(उत्तर प्रदेश)
(मोबाइल नंबर: 8449250240)

3 श्रीमति कमलेश पत्नी श्री नानक चंद,
आइसक्रीम फ़ैक्टरी वाली गली, प्रेम विहार,
माधवपुरम, मेरठ
(उत्तर प्रदेश)

4 श्री योगेंद्र कुमार,
मकान नंबर: 2/169, माधवपुरम, मेरठ
(मोबाइल नंबर: 9650994869)

5 श्रीमति खुशबू अग्रवाल व अन्य,
मकान नंबर: 131, आर के पुरम,
थाना- ब्रहमपुरी,
मेरठ (उत्तर प्रदेश)
(मोबाइल नंबर: 9870997280)

Copy for information to:

1. PS to Hon'ble Vice-Chairperson, NCST
2. NIC (please upload on the website of the Commission)

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- RS/4/2017/STGUP/ATOTH/RU - II)

श्री राजेंद्र साह पुत्र श्री भोला साह, निवासी 25/28 आर. के. पुरम दिल्ली रोड, ब्रह्मपुरी, मेरठ, उत्तर प्रदेश द्वारा जातिगत आधार पर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को एवं उसके परिवार को प्रताड़ित करने के मामले में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसूईया उइके की अध्यक्षता में दिनांक 03.06.2019 को 3.00 बजे आयोग में आयोजित बैठक का कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 03.06.2019

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

---

1. श्री राजेंद्र साह पुत्र श्री भोला साह, निवासी 25/28 आर. के. पुरम दिल्ली रोड, ब्रह्मपुरी, मेरठ, उत्तरप्रदेश द्वारा दिनांक 17.09.2018 को आयोग को अभ्यावेदन देकर न्याय दिलाने का निवेदन किया। जिसमें बताया गया था कि उसके साथ पड़ोसी द्वारा जातिगत शब्द बोलकर अपमानित किया जाता है साथ ही मुहल्ले से निकालने की धमकी भी देते हैं। दिनांक 10.11.2017 को उक्त लोगों ने उनके परिवार के साथ गाली-गलौज करते हुए अपमानित किया। जिसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी और दिनांक 20.11.2017 को उनके खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया गया।
2. आयोग ने मामले का संज्ञान लेकर सम्बंधित वरिष्ठ अधिकारियों को मामले में जानकारी और आख्या माँगी।
3. इस बीच आयोग में कुछ अनावेदक गण उपस्थित होकर श्री राजेंद्र साह के विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत किये और उनके विषय में गम्भीर आरोप लगाये। आरोप में यह बताया गया कि अभ्यावेदक श्री राजेन्द्र साह जानबूझकर एस सी / एस टी एक्ट का दुरुपयोग करते हैं तथा लोगों को धमकाते रहते हैं। ये झूठे मुकदमे बना कर लोगों को ब्लैकमेल करते हैं तथा

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

सरकारी अनुदान प्राप्त करने के लिए प्रशासन को गुमराह करते हैं। इन अनावेदको का विवरण इस प्रकार है:-

a. श्री छोटू कुमार व अन्य , ग्राम- जंगेठी, कंकरखेडा, जिला- मेरठ
b. श्रीमती कमलेश, पत्नी- श्री नानका चंद, प्रेम विहार, माधवपुरम, मेरठ
c. श्री योगेन्द्र कुमार, मकान नंबर- 2/169, माधवपुरम, मेरठ
d. श्रीमती खुशबू अग्रवाल, मकान नंबर- 131, आर के पुरम, थाना- ब्रह्मपुरी, मेरठ

4. आयोग ने अनावेदकों के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर यह निर्णय लिया कि चूंकि आयोग अनुसूचित जनजाति की रक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए है किन्तु यदि संविधान के रक्षोपायों का कोई दुरुपयोग करता है तो आयोग इस मामले को गंभीरता से लेता है और प्रताड़ित पक्ष को न्याय दिलाता है। अत: आयोग ने इनके मामले में अनावेदकों से प्राप्त आवेदन पर संज्ञान लेते हुए जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से तथ्यात्मक रिपोर्ट माँगी।

5. आयोग ने अपने जांच में पाया कि अभ्यावेदक श्री राजेन्द्र साह के मामले में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार ये उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नही हैं तथा इनका जाति प्रमाण पत्र बिहार के पश्चिम चंपारण जिले का बना हुआ। साथ ही साथ इन्होने स्वयं के अलावा पत्नी और अपने बच्चों की नाम से भी मुकदमा दर्ज करा कर करीब 19 लाख की आर्थिक सहायता प्राप्त की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश संख्या- 11012/3/2013-PCR (Desk) दिनांक 05-12-2013 जो सभी प्रधान सचिव/ सचिव, एस सी / एस टी विकास विभाग, गृह विभाग, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों को संबोधित है, यह दिशा निर्देश निम्नवत है:-

> "A case relating to payment of admissible relief amount as per the scheduled Caste / scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Rules, 1995, to a member of a scheduled Caste in context of a case registered under The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 in the State of migration, which is deferent from the state of his/ her origin, was examine in this ministry. The advice in the

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

matter was also sought from the Ministry of Law and Justice, Dept. of Legal affairs.

It is clarified that the offences under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 imply offences against only such members of SC / ST, whose Castes / Tribes have been specified as a SC / ST, in relation to a State / UT, and thus, for the purpose of POA Act, while keeping in view its section 2 (1), it would not be inconformity with provisions of Article 341 (1) and 342 (2) of the constitution of India, to consider members of migrant SC/ ST, for registration of a case by them in the state/ UT of migration, and qualify for any relief amount as per provisions of the SC and ST Rules 1995.

6. आयोग ने मामले की सत्यता के परीक्षण हेतु दिनांक 03 जून 2019 को आयोग में सभी सम्बंधित पक्षों के साथ बैठक कर मामले का निस्तारण करने का निर्णय लिया। इसके लिए आयोग द्वारा जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, समाज कल्याण अधिकारी, अभ्यावेदक तथा अनावेदक गणों को सिटींग नोटिस भेजी गई।
7. दिनांक 03 जून 2019 को बैठक के लिए जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की जगह पर सिटी मजिस्ट्रेट तथा सी ओ, ब्रह्मपुरी एवं अभ्यावेदक व अन्य अनावेदकगण उपस्थित हुए।
8. आयोग ने मामले में अभ्यावेदक को अपना पक्ष रखने को कहा जिस पर उन्होंने आयोग को अवगत कराया कि उनके पड़ोसी द्वारा जातिगत शब्द बोलकर अपमानित किया जाता है साथ ही मुहल्ले से निकालने की धमकी दी जाती हैं। उनके साथ मारपीट की गई उन्हें जान से मारने की कोशिश की जाती है। साथ ही जिन लोगों के विरुद्ध उन्होंने थाने में आवेदन दिया है उनके खिलाफ कार्यवाही नही हो रही है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

9. आयोग ने अनावेदकों से उनका पक्ष जानना चाहा जिस पर अनावेदकों ने आयोग को अवगत कराया कि अभ्यावेदक श्री राजेन्द्र साह जानबूझकर एस सी / एस टी एक्ट का दुरुपयोग करते हैं तथा लोगों को धमकाते रहते हैं। ये झूठे मुकदमे बना कर लोगों को ब्लैकमेल करते हैं तथा सरकारी अनुदान प्राप्त करने के लिए प्रशासन को गुमराह करते हैं। आयोग का गलत तरीके से दुरुपयोग करते हुए इन्होने सबको परेशान कर रखा है।

10. आयोग ने उपस्थित अधिकारियों से इस विषय में जानकारी माँगी जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट और सी ओ ब्रह्मपुरी द्वारा अवगत कराया गया कि अभ्यावेदक एस टी समुदाय के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर मुकदमा दर्ज कराते हैं जिसमें नियमानुकूल कार्यवाही की जाती है। आयोग ने उनसे नियम के विषय में जानना चाहा कि दूसरे राज्य का व्यक्ति किसी अन्य राज्य में आर्थिक सहायता का लाभ कैसे ले सकता है? इस पर उनके द्वारा स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई । जिला समाज कल्याण अधिकारी ने आयोग को अवगत कराया कि श्री राजेन्द्र साह उनके दफ्तर में जाकर दवाब बनाते है तथा उनके पास जाकर शिकायत करते हैं कि उनका काम किया जाय अन्यथा वे कानूनी कार्यवाई करेंगे। ऐसी स्थिति में शीघ्रता करते हुए उनका आर्थिक सहायता देने संबंधी प्रक्रिया पूरी की गई। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने यह स्वीकार किया कि इस मामले में उनके विभाग द्वारा गलती की गई है।

11. सभी पक्षों को सुनने तथा दस्तावेजों का परीक्षण करने के पश्चात् आयोग ने यह पाया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश संख्या-11012/3/2013-PCR (Desk) दिनांक 05-12-2013 के अनुसार अभ्यावेदक के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वह बिहार राज्य के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर POA Act के तहत निर्धारित आर्थिक सहायता का लाभ उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्राप्त करे। अतएव आयोग प्रकरण में निम्नलिखित अनुशंसा करता है-

- अभ्यावेदक श्री राजेन्द्र साह द्वारा अपनी पत्नी और बच्चों के नाम पर समान प्रकार के मुकदमें में बिना जाति प्रमाण पत्र के आर्थिक लाभ लिया गया है जो संदेहास्पद है। बिना जाति प्रमाण पत्र की वैधता, पात्रता और सत्यता का परीक्षण किये आर्थिक सहायता राशि कैसे दी गई इसकी जांच की जाय और सम्बंधित अधिकारी/ विभाग की जिम्मेदारी तय की जाय।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश संख्या-11012/3/2013-PCR (Desk) दिनांक 05-12-2013, शासनादेश और केंद्र सरकार के

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

दिशा निर्देशों के अनुरूप जिला प्रशासन अभ्यावेदक श्री राजेन्द्र साह को अब तक दी गई आर्थिक सहायता की समीक्षा/ जांच करे तथा गलत तरीके और नियम के विरुद्ध दी गई सभी राशि की वसूली करें।

- आर्थिक सहायता लेने की नियत से जानबूझकर निर्दोष लोगों को फंसाने हेतु झूठे मुकदमें करने की भी जांच की जाय और पीड़ित अनावेदकों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर कार्यवाही की जाय।

12. जिला प्रशासन आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के अनुपालन की अंतरिम कार्यवाही रिपोर्ट से आयोग को 15 दिवस के अन्दर सूचित करें।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट 1

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- RS/4/2017/STGUP/ATOTH/RU - II)

श्री राजेंद्र साह पुत्र श्री भोला साह, निवासी 25/28 आर. के. पुरम दिल्ली रोड, ब्रह्मपुरी जनपद मेरठ, उत्तर प्रदेश द्वारा जातिगत आधार पर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को एवं उसके परिवार को प्रताड़ित करने के मामले में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसूईया उइके की अध्यक्षता में दिनांक 03.06.2019 को आयोग में आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारी-

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्री अनुसुईया ऊइके, माननीय उपाध्यक्ष
2. श्री राजेश्वर कुमार, सहायक निदेशक
3. श्री गौरव कुमार, उपाध्यक्ष के निजी सचिव
4. श्री आर. एस. मिश्रा, वरिष्ठ अन्वेषक
5. श्री विकास कुमार शर्मा, विधि परामर्शक

उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी

6. श्री संजय कुमार पांडेय, सिटी मजिस्ट्रेट, मेरठ
7. श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, सी ओ, ब्रह्म्पुरी, मेरठ
8. मो. मुस्ताक अहमद, जिला समाज कल्याण अधिकारी, मेरठ

अभ्यावेदक

9. श्री राजेंद्र साह

अनावेदक

10. श्री प्रभु दत्त
11. श्री अशोक कुमार
12. श्रीमती खुशबू अग्रवाल
13. श्री विजय कुमार
14. श्री योगेंद्र कुमार
15. श्री नीना आनंद
16. श्रीमती लक्षमी अग्रवाल
17. श्री मदन लाल
18. श्री भूपेश कुमार आनंद
19. श्री पवन कुमार
20. श्री कुलदीप कुमार
21. श्रीमती कमलेश
22. श्री ओम नारायण